फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम बापिणी

रिड़मलराम बनाम तहसीलदार बापिणी

किस्म मुकदमा 136,88,91 नं. 12 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.07.25	प्रार्थी रिड़मलराम पुत्र मानाराम द्वारा राजस्व रेकार्ड में नाम शुद्ध करने का प्रार्थना पत्र शिविर प्रभारी प. दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा में पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी, भू. अभि. से जांच रिपोर्ट ली गई तथा प्रार्थी को कहा गया कि जरिये अधिवक्ता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में धारा 136 के तहत प्रकरण पेश करे। प्रार्थी ने जरिये अधि. श्री भैरूराम विश्नोई के मार्फत अन्तर्गत धारा 88,91 रा.का. अधि. एवं धारा 136 का पेश किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। जांच रिपोर्ट शामिल पत्रावली है तथा सह खातेदारों द्वारा सहमति शपथ पत्र भी पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व जांच रिपोर्ट अनुसार वादी का सही नाम रिड़मलराम पुत्र माना राम है। इसलिए वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा गया जो शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली के साल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर बापिणी	

सेवामें,

श्रीमान न्यायालय सहायक कलेक्टर

एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी

जिला फलौदी।

राजस्व दावा संख्या :–2025/12

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. रिडमलराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी कपुरियां तहसील बापिणी जिला फलौदी।

बनाम

1. तहसीलदार–बापिणी भुमिधारी राजस्थान सरकार

प्रफोर्मा–पक्षकारः–

2. खेताराम पुत्र मानाराम
3. जेठाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी कपुरियां तहसील बापिणी जिला फलौदी।

<u>दरख्वास्त अर्न्तगत धारा 88, 91 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम एंव धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती की घोषणा बाबत दावा।</u>

मान्यवर जी,

Ridmal

वादी की ओर से दावा प्रार्थना पत्र पेश कर निम्न निवेदन है कि :–

1. यह है कि तहसील बापिणी के पटवार मण्डल रायमलवाडा के राजस्व ग्राम कपुरियां के खसरा नम्बर 30 रकबा 4.0549 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 206 रकबा 6.1269 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 248 रकबा 2.9380 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, की खातेदारी भूमि आई हुई है। जिस पर वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 संयुक्त रूप से काबिज कास्तकार हैं। उक्त भूमि की चालु जमाबन्दी सम्वंत 2073 से 2076 तक में वादी के नाम रिडाराम पुत्र मानाराम दर्ज है। जो गलत दर्ज हो गया हैं तब से आज तक निरन्तर चला आ रहा हैं चालु जमाबन्दी की नकल सलग्न प्रार्थना पत्र पेश है।
2. यह है कि उक्त भूमि की जमाबन्दी में वादी के नाम लिपीकिय त्रुटी से रिडाराम गलत दर्ज हो गया हैं वादी के सही नाम रिडमलराम हैं इसलिए वादी के नाम चालु रेकर्ड में रिडाराम के स्थान पर रिडमलराम सही दर्ज करवाने हेतु दावा प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।
3. यह है कि वादीगण के नाम चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073–2077 में रिडाराम दर्ज है जबकी वादी के सही नाम रिडमलराम है और राजस्व रेकॉर्ड में रिडमलराम दर्ज करवाने एवं लिपिकिय त्रुटी को सुधार करवाने का दावा प्रार्थना पत्र पेश है।
4. यह हैं कि हम वादीगण के नाम जमीनी कागजातों के अलावा सभी दस्तावेजों में जैसे वादी संख्यां 01 के आधारा कार्ड नम्बर 7409–8920–7335, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र संख्यां टीजेएस/0274464, भारती स्टेट बैक शाखा औसियां के खाता संख्यां 11187038927 एंव आयकर प्रमाण पत्र पेन कार्ड संख्यां

Ridmal

सीयुएफबीआर 4906 पी, परिवार राशन कार्ड संख्यां 200003089428 एंव जन–आधार कार्ड परिवार पहचान संख्यां 4882004579 में नाम रिडमलराम पुत्र मानाराम दर्ज हैं जिसके आधार पर वादी अपना नाम जमाबन्दीं में सही दर्ज करवाना चाहते हैं।

5. यह है कि वादी काए नाम उक्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में लिपिकिय त्रुटी के कारण जमाबन्दी में नाम गलत दर्ज हुआ। तथा उक्त लिपिकिय भूल को बाद को में भी सुधार नहीं किया गया। अभी हाल में वादी संख्यां 01 ने अपनी भूमि की जमाबन्दी की नकल हल्का पटवारी से प्राप्त की तो उसमें वादीगण के नाम गलत होना हल्का पटवारी के द्वारा बताया गया। वादीगण ने अपनी भूमि की नकल लेकर तहसीलदार बापिणी से लिपीकिय त्रुटी को सुधार कर नाम सही दर्ज करने के लिए निवेदन किया लेकिन तहसीलदार बापिणी ने राजस्व रेकॉर्ड में वादी के नाम सही नहीं होने से रिकार्ड में नाम दुरूस्ती की अर्जी को स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए मजबुरन राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरूस्ती की घोषणा करवाने के लिए यह दावा प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

6. यह है कि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज रिडमलराम के नाम सही–गलत ध्यान में नहीं आये है यह नाम राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में अशुद्व एंव गलत दर्ज है इसलिंए सही करवाना चाहते हैं। और रिकोर्ड आ–दिनांक सही करवाने की वादी को अधिकार हैं।

7. यह है कि भूमि ग्राम कपुरियां तहसील बापिणी में स्थित होने से माननीय न्यायालय हाजा को सुनवायी का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

Ridmal

8. यह है कि वाद का मूल्याकंन बाबत खातेदारी नाम दुरूस्ती की घोषणा का कायम किया जाने के लिए नियमानुसार न्यायालय शुल्क अलावा फर्द तलबना के पेश है।

9. यह है कि इस्तदुआ वादी की ओर से निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादी जारी फरमाई जावे :—

1. अतः दावा प्रार्थना पत्र दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम कपुरियां में स्थित खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 30 रकबा 4.0549 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 206 रकबा 6.1269 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 248 रकबा 2.9380 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादी के नाम रिड़मलराम पुत्र मानाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी को दुरूस्त किये जाने की घोषणा करवाने का श्रम करावें। अन्य दारदसी आज्ञा जो ब—नजदीक न्याया वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो अता फरमाई जावें। दिनांक — 04/07/2025

Ridmal

O.R. Bishnoi
AS
4/7/25